

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक: एफ.2 ( )आ.क.को./लेखा/आई.सी.डी.एस./2017

जयपुर, दिनांक

217068-371

20/12/18

बाल विकास परियोजना अधिकारी,  
समस्त।

**विषय:-** सामूहिक बचत एवं बीमा योजनान्तर्गत आवंटित बजट का उपयोग करने के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सामूहिक बचत एवं बीमा योजनान्तर्गत आवंटित बजट का दो किस्तों में भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान किया जाता है, परन्तु आज दिनांक तक आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है, जबकि दूसरी किस्त भी देय हो चुकी है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सामूहिक बचत एवं बीमा योजनान्तर्गत देय दोनों किस्तों का शीघ्र नियमानुसार भुगतान कर आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करें। जीवन बीमा निगम को विलम्ब से भुगतान होने पर देय ब्याज का दायित्व आपका होगा।

वित्तीय सलाहकार  
समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.2 ( )आ.क.को./लेखा/आई.सी.डी.एस./2017 217372-406 जयपुर, दिनांक  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। 20/12/18

1. समस्त उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

वित्तीय सलाहकार